भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1958

जिसका उत्तर 22 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....

भूजल की कमी

1958. श्री जॉन बर्ला:

श्री नायब सिंह सैनी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

श्री रवि किशन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यार सरकार ने देश में भूजल की कमी की समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में भूजल की भारी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से उक्त राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ग) जल, राज्य का विषय है, इसलिए देश में जल संचयन और संरक्षण सहित जल प्रबंधन की पहल करना मुख्यतया राज्यों की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, बहुत से राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान", महाराष्ट्र में "जलयुक्त शिवर", गुजरात में "सुजलाम सुफलाम अभियान", तेलंगाना में "मिशन ककातिया", आंध्र प्रदेश में "नीरू चेट्टू", बिहार में "जल जीवन हरियाली", हरियाणा में "जल ही जीवन"।

भारत सरकार ने भारत के 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल स्थिति सहित जल उपलब्धता में सुधार करने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ जल शक्ति अभियान नामक एक समयबद्ध अभियान शुरू किया था। इस संबंध में, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों को जल की कमी वाले जिलों का दौरा करने और उचित कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए 6000 करोड़ रूपए की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अटल भूजल योजना (अटल जल) को लागू कर

रही है। अटल जल, सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 78 जल की कमी वाले जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मॉडल भवन उपनियम, 2016 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देशों के लिए जारी किया गया है जिसमें 'वर्षा जल संचयन' का एक अध्याय है। इस अध्याय के प्रावधान सभी भवनों पर लागू होते हैं। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्षा जल संचयन के प्रावधानों को अपनाया है। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/ शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार के भीतर आता है।

भूजल के अतिदोहन और परिणाम स्वरूप होने वाली गिरावट को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने मॉडल विधेयक को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है, जिससे कि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उचित भूजल कानून बनाने में समर्थ हो सकें, जिसमें वर्षाजल संचयन के प्रावधान शामिल रहते हैं। अब तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसको अपना लिया है और मॉडल विधेयक के अनुसार भूजल कानून को कार्यान्वित किया है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र तथा प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें जलभृतों के मानचित्रण उनके विशिष्टीकरण और भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुलभ बनाने के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने की योजना है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र तथा प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें जलभृतों के मानचित्रण जल संबंधी (फ्रॉमेशन), उनके विशिष्टीकरण और भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुलभ बनाने के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने/उन्हें अंतिम रूप दिए जाने की दृष्टि से जलभृत प्रबंधन योजनाएं विकसित करने की योजना है।

इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्षाजल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण करने के लिए सभी पणधारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 'कैच द रेन' अभियान आरंभ किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जलों के संसाधनों स्थायी प्रबंधन के बारे में किए गए अन्य उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं।
http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_June2019.pdf.

(ख) देश में सक्रिय भूजल संसाधनों का केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2107 के मूल्यांकन के अनुसार, देश में अतिदोहित मूल्यांकन इकाईयों (जहां वार्षिक भूजल निष्कासन संसाधनों से अधिक है) का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा में अतिदोहित मूल्यांकन इकाईयों की संख्या तथा % देश की लगभग 17% औसत के समक्ष क्रमश: 91 (11%), 0 (0%) तथा 78 (61%)।

****

अनुलग्नक

'भूजल की कमी' विषय पर दिनांक 22.09.2020 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1958 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत में अतिदोहित मूल्यांकन इकाईयों की सूची (2017)

क्र.□□	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यांक□ इकाईयों की कुल संख्या	अतिदोहित मूल्यांक□ □□□□□	
			संख्या	%
	राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	670	45	7
2	अरुणाचल प्रदे	11	0	0
3	असम	28	0	0
4	बिहार	534	12	2
5	छत्तीसगढ़	146	0	0
6	दिल्ली	34	22	65
7	गोवा	12	0	0
8	गुजरात	248	25	10
9	हरियाणा	**128**	**78**	**61**
10	हिमाचल प्रदेश	8	4	50
11	जम्मू और कश्मीर	22	0	0
12	झारखंड	260	3	1
13	कर्नाटक	176	45	26
14	केरल	152	1	1
15	मध्य प्रदेश	313	22	7
16	महाराष्ट्र	353	11	3
17	मणिपुर	9	0	0
18	मेघालय	11	0	0
19	मिजोरम	26	0	0
20	नगालैंड	11	0	0
21	ओडिशा	314	0	0
22	पंजाब	138	109	79
23	राजस्थान	295	185	63
24	सिक्किम	4	0	0
25	तमिलनाडु	1166	462	40
26	तेलंगाना	584	70	12
27	त्रिपुरा	59	0	0
28	उत्तर प्रदेश	**830**	**91**	**11**
29	उत्तराखंड	18	0	0
30	पश्चिम बंगाल	**268**	**0**	**0**
	□□ **राज्य**	**6828**	**1185**	**17**
	□□ **राज्य क्षेत्र**			
1	अंडमान और निकोबार	36	0	0
2	चंडीगढ़	1	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
4	दमन और दीव	2	0	0
5	लक्षद्वीप	9	0	0
6	पुदुच्चेरी	4	1	25
	□□ **संघ राज्य क्षेत्र**	53	**1**	2
	□□ □□	**6881**	**1186**	**17**